



-प्रेस नोट-

दिनांक: 03.09.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा नकली नोटों की तस्करी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे से नकली नोट व अन्य सामान बरामद**

**बरामदगी का विवरण:-**

- 60000/- रुपये (नकली नोट)
- 4700 रुपये नगद (असली नोट)
- 01 एटीएम कार्ड
- 02 पैन कार्ड
- 02 आधार कार्ड
- 01 ड्राइविंग लाइसेंस
- 01 वोटर आईडी कार्ड
- 02 मोबाईल फोन
- 01 हुंडई वर्ना कार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 02/03.09.2024 की रात्री में मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग को दौरान नकली नोटों की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तगण 1. विजय कुमार पुत्र रमेश चन्द निवासी कमला नगर नियर रविदास आश्रम फरकपुर थाना फरकपुर राज्य हरियाणा 2. मुकेश पुत्र सोमप्रकाश निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर को बडी नहर पुल अम्बाला रोड से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से जाली मुद्रा 60000/- रुपये व एक एटीएम कार्ड कोटेक महिन्द्रा बैंक, दो पैन कार्ड नं0 क्रमशः CNCPK4702J व CUKPN1526Q, दो आधार कार्ड नं0 क्रमशः 9332809939048 व 839802940113 एवं एक डीएल नं0 HR0220220005839, एक पहचान पत्र नं0 TW00254037, 02 मोबाईल फोन सियल मी व सैमसंग कम्पनी एवं 4700 रुपये नगद (47 नोट 100 के), सफेद वरना गाडी रजि0 नं0 HR 04 J 0619 बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 257/24 धारा 178/179/180 बीएनएस बनाम विजय व 03 अन्य के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि हम लोग यह नकली नोट विजय के सगे भाई निवासी कमला नगर नियर रविदास आश्रम फरकपुर थाना फरकपुर राज्य हरियाणा से लेकर आये है विजय के भाई से पहले भी हम लोग नकली नोट लाते रहते थे और करीब तीन माह पहले 02 लाख रुपये के नकली नोट प्रताप सिंह

खालसा पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम डाडवा थाना बेहट जिला सहारनपुर को लाकर दिये थे आज भी हम ये रूपये सहारनपुर में लेकर आये थे जिन्हे हम सहारनपुर में दुकानदारों को थोडे थोडे नकली रूपये देकर चला देते और नकली नोटों के बदले में कुछ रूपये कम करके असली नोट ले लेते है आज भी हम यही काम करने आये थे कि आपने हमको पकड लिया। हमसे जो 500-500 के नोट मिले है वह नकली है और जो 100-100 के नोट मिले है वह असली है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. विजय कुमार पुत्र रमेश चन्द निवासी कमला नगर नियर रविदास आश्रम फरकपुर थाना फरकपुर राज्य हरियाणा
2. मुकेश पुत्र सोमप्रकाश निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर

### बरामदगी का विवरण:-

- 60000/- रूपये के नकली नोट (जाली भारतीय मुद्रा)
- 01 एटीएम कार्ड कोटेक महिन्द्रा बैंक,
- 02 पैन कार्ड नं0 क्रमशः CNCPK4702J व CUKPN1526Q,
- 02 आधार कार्ड नं0 क्रमशः 9332809939048 व 839802940113
- 01 ड्राइविंग लाइसेंस नं0 HR0220220005839,
- 01 वोटर आईडी कार्ड नं0 TW00254037 ,
- 02 मोबाईल फोन रियल मी व सैमसंग कम्पनी
- 4700 रूपये नगद (47 नोट 100 रूपये की असली भारतीय मुद्रा),
- 01 हुंडई वर्ना गाडी रंग सफेद (रजि0 नं0 HR 04 J 0619)

### अभियुक्त विजय का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 89/22 धारा 120बी/171/379ए/406/420/506 भादवि थाना गांधीनगर जिला यमुनानगर, हरियाणा
2. मु0अ0स0 185/21 धारा 120बी/420/473/475 भादवि थाना पाराओ अम्बाला कैन्ट जिला अम्बाला, हरियाणा
3. मु0अ0स0 303/18 धारा 420/506/406 भादवि थाना फरकरपुर जिला यमुनानगर , हरियाणा

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 अवशेष भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. उ0नि0 असगर अली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
4. है0का0 639 मुकेश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
5. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
6. का0 1913 राजन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
7. का0 272 सन्दीप कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
8. का0 2033 अजय थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 03.09.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को 06 ग्राम अवैध स्मैक सहित**

### **किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण/मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त शमी पुत्र इरफान उर्फ बूढ़ू नि0 ग्राम घानाखण्डी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर को 06 ग्राम अवैध स्मैक सहित घुन्ना की तरफ जाने वाले रास्ते में कब्रिस्तान से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 368/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम शमी उपरोक्त के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

शमी पुत्र इरफान उर्फ बूढ़ू नि0 ग्राम घानाखण्डी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर

#### **बरामदगी का विवरण:-**

06 ग्राम अवैध स्मैक

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी सिंह को0देहात जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री संजय शर्मा को0देहात जनपद सहारनपुर
3. है0का0 394 राजकुमार, को0देहात जनपद सहारनपुर
4. का0 2267 विष्णू कुमार को0देहात जनपद सहारनपुर



दिनांक: 03.09.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी के मुकदमे में 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.09.2024 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त 1. किरनपाल पुत्र चन्द्रमिस्त्री निवासी हिम्मतनगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर 2. चन्द्रपाल पुत्र कालूराम निवासी नाजीरपुरा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं0- 1317/24 मु0अ0सं0 197/95 धारा 379/411 भादवि को उसके मस्कन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

1. किरनपाल पुत्र चन्द्र मिस्त्री निवासी हिम्मतनगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. चन्द्रपाल पुत्र कालूराम निवासी नाजीरपुरा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

1. उ0नि0 श्री राजेन्द्र गिरी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. का0184 राजन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. है0का013 इकलाख थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 03.09.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार ।**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा **02 वारण्टी अभियुक्तगण 1. मशरूर पुत्र महमूद निवासी ग्राम कालेवाला थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड सम्बन्धित एसटी नं0 538/20 मु0अ0सं0 262/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-8 सहारनपुर को ग्राम कालेवाला से व 2. अफजल पुत्र कुर्बान चैम्पियन निवासी ग्राम फतेहपुर भादों थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर सम्बन्धित एसटी नं0 303/24 मु0अ0सं0 112/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट मा0 न्यायालय स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट कक्ष संख्या-12 सहारनपुर को ग्राम फतेहपुर भादो से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार वारंटियों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।**

**गिरफ्तार वारंटियों का नाम व पता –**

1. मशरूर पुत्र महमूद निवासी ग्राम कालेवाला थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
2. अफजल पुत्र कुर्बान चैम्पियन निवासी ग्राम फतेहपुर भादों थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

1. उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अंकित कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री गौरव कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. का0 2176 श्याम पाल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 03.09.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा बलवा करने के मामलें 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 26.08.2024 को वादी श्री हर्ष कुमार पुत्र ऋषिपाल नि0 ग्राम रमाजनपुरा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत **प्रथम पक्ष** अभियुक्तगण 1-अर्पण पुत्र नरेश सैनी, 2-मुकुल पुत्र मुकेश कश्यप, 3-अंकित पुत्र अशोक सैनी, 4-सौरभ उर्फ चूहा पुत्र सतीश सैनी, नि0गण ग्राम हसनपुर थाना को0देहात जनपद सहारनपुर, 5-विशाल पुत्र बलराम नि0 रजमानपुरा थाना को0देहात जनपद सहारनपुर व **द्वितीय पक्ष** 1-विशाल सैनी पुत्र मांगेराम, 2-विक्की पुत्र ओमीचन्द्र नि0गण ग्राम टोपरी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर, 3-शुभम पुत्र समय सिंह, 4-अक्षय पुत्र करेशन, 5-अनुज पुत्र बिजेन्द्र व कुछ अज्ञात द्वारा आपस में झगडा करना व एक दुसरे पक्ष पर गोली चलाने, जिसमें एक गोली वादी के चचेरे भाई अमन के दाये पैर में लग जाने से घायल हो जाने तथा मौके पर अफरा-तफरी मच जाने से भय का माहौल पैदा हो जाने से आस पास के लोगो के अपने घर में छिप जाने की सूचना के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 361/24 धारा 191(3)/109(1) बीएनएस व 7 क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना में लिप्त अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए बलवा करने वाले वांछित अभियुक्त अनुज पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम चकअब्दुल्ला खुब्बनपुर थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर को ग्राम चकअब्दुल्ला खुब्बनपुर से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में 06 अभियुक्तों को दिनांक 27.08.2024 को मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में जेल भेज दिया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

अनुज पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम चकअब्दुल्ला खुब्बनपुर थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी कोतवाली देहात सहारनपुर
- 2- उ0नि0 श्री अजय पाल सिंह कोतवाली देहात सहारनपुर
- 3- है0का0 207 दिनेश कुमार, कोतवाली देहात सहारनपुर
- 4- का0 1551 अमित कुमार कोतवाली देहात सहारनपुर



दिनांक: 03.09.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त **मैनुद्दीन उर्फ मैनु पुत्र मकसूद निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या — 12333/23 धारा — 63 आबकारी अधिनियम में ग्राम दूधगढ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

मैनुद्दीन उर्फ मैनु पुत्र मकसूद निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना सहारनपुर।

**अभियुक्त मैनुद्दीन उर्फ मैनु उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0—264/19 धारा— 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0—580/20 धारा— 63 आबकारी एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
3. मु0अ0सं0—08/21 धारा— 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
4. मु0अ0सं0—267/21 धारा— 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:**

1. उ0नि0 श्री विपिन शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. है0का0 1043 अंकित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. का0 1870 पुनित यादव थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4. का0 2056 सुभम सिरोही थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



दिनांक- 03.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

-प्रेस नोट-

**थाना तीतरो पुलिस द्वारा 02 गौतस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20 किलो प्रतिबन्धित मांस बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में गौ-तस्करी की रोकथाम व गौकशी के अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना तीतरों पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 गौतस्कर अभियुक्तगण 1. इमरान पुत्र शाकर निवासी ग्राम धानवा थाना तीतरो जिला सहारनपुर व 2. इब्राहिम उर्फ भेडा पुत्र अफजल खाँ निवासी मौहल्ला शेखजादगान कस्बा व थाना तीतरो जिला सहारनपुर को करीब 20 किलो प्रतिबन्धित मांस (गौमांस) सहित गंगोह रोड से फूसगढ जाने वाले खण्जे से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना तीतरों पर मु0अ0सं0 105/2024 धारा 5ए/8 सीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त इब्राहिम उर्फ भेडा उपरोक्त थाना तीतरों का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। अभियुक्त इब्राहिम उपरोक्त शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है जिसके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में करीब 02 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनो पढे लिखे नहीं हैं और हमारे पास कोई काम भी नहीं है। पैसों की तंगी भी चल रही थी हम लोगो ने सोचा बाहर से मांस लाकर अपने आस पास के लोगो को थोडे ज्यादा पैसों में यह मांस बेच देगे। इसी योजना के तहत हम लोग शामली से मांस लेकर आ रहे थे, पर शामली से मांस लाते समय आप लोगो ने हमे पकड़ लिया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

1. इमरान पुत्र शाकर निवासी ग्राम धानवा थाना तीतरो जिला सहारनपुर
2. इब्राहिम उर्फ भेडा पुत्र अफजल खाँ निवासी मौहल्ला शेखजादगान कस्बा व थाना तीतरो जिला सहारनपुर

**अभियुक्त इब्राहिम उर्फ भेडा (एच.एस 48ए) उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -**

1. मु0अ0सं0 03/2011 धारा 25 आर्मस एक्ट, थाना तीतरो जिला सहारनपुर,
2. मु0अ0सं0 13/2011 धारा 110जी द0प्र0सं0 थाना तीतरो जिला सहारनपुर,
3. मु0अ0सं0 136/2011 धारा 323/324/325/452//504/506 आईपीसी थाना तीतरो जिला सहारनपुर,
4. मु0अ0सं0 140/2011 धारा 110 जी द0प्र0सं0, थाना तीतरो जिला सहारनपुर,
5. वाद सं0 6096/2007 धारा 323/452/506 आईपीसी, थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 59/1978 धारा 60 आबकारी अधि0, थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 14/1979 धारा 457/380 आईपीसी, थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 17/1980 धारा 147/148/324 आईपीसी, थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 20/1980 धारा 392 आईपीसी, थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 24/1981 धारा 60 आबकारी अधि0, थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 25/1981 धारा 147/323 आईपीसी, थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 32/1981 धारा 377/511 आईपीसी, थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
13. मु0अ0सं0 4A/1984 धारा 392/323 आईपीसी, थाना रामपुर मनियारान जनपद सहारनपुर
14. मु0अ0सं0 21/1985 धारा 326/323 आईपीसी, थाना तीतरों जनपद सहारनपुर

15. मु0अ0सं0 07/1988 धारा 326/323 आईपीसी, थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
16. मु0अ0 79/1988 धारा 380 आईपीसी, थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
17. मु0अ0सं0 78/1991 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
18. मु0अ0सं0 49/2004 धारा 452/324(32) आईपीसी, थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
19. मु0अ0सं0 06/1983 धारा 147/323 आईपीसी, थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
20. मु0अ0सं0 77/1992 धारा 60 आबकारी अधि0, थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
21. मु0अ0सं0 80/1989 धारा 307/506 आईपीसी, थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
22. मु0अ0सं0 47/1997 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0, थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
23. मु0अ0सं0 51/1997 धारा 25 आर्मस एक्ट, थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
24. मु0अ0सं0 95/1997 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना तीतरों जनपद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण-**

20 किलो प्रतिबन्धित मांस (गौमांस)

**गिरफ्तार करने वाली टीम:-**

1. उ0नि0 श्री राजपाल सिंह थाना तीतरो जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना तीतरो जिला सहारनपुर
3. का0 2538 चन्द्रशेखर थाना तीतरो जिला सहारनपुर
4. का0 2494 देबू गौतम थाना तीतरो जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक:- 03.09.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना सरसावा पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त आयुष पुत्र सोनू कुमार निवासी ग्राम अहमदपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर को ग्राम इब्राहिमी से जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 देशी तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 269/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं पढा लिखा नहीं हूँ तथा यह तमंचा मैं लोगो को डराने धमकाने व रौब जमाने के लिए अपने पास रखता हूँ। तमंचे के बारे में पूछने पर बताया कि यह तमंचा मैंने एक राह चलते व्यक्ति से खरीदा था जिसका नाम पता मैं नहीं जानता हूँ

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता: -**

आयुष पुत्र सोनू कुमार निवासी ग्राम अहमदपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

01 अवैध तमंचा 315 बोर

01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1.उ0नि0 श्री रामवीर सिंह, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

2.है0का0 892 अजय राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

3.का0 1259 विनीत तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

4.का0 2551 विक्रम सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।